

कृषि भवन नई दिल्ली
दिनांक 11 अप्रैल 2016

विषय :राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए

खाद्यानन्दों का आवंटन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 8 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या एसएबी-11012/70/2016-ओ/ओ एडी एसएबीएलए का हवाला देने तथा राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय नियम मूल्य पर 1.45 लाख टन गेहूँ, 1.25 लाख टन चावल, 1750 टन समकका तथा 1100 टन गरीबी (सम्पर्कका एवं रासी केवल तमिलनाडु राज्य के लिए है) के आवंटन हेतु इस विभाग का अनुमोदन सूचित करने का निर्देश हुआ है।

2. खाद्यानन्दों की लागत जमा करने तथा उठान के संबंध में वैधता अवधि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह गान्धीवार आवंटनों को अविलंब जारी करें ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटनों का निर्धारित वैधता अवधि के भीतर उठान कर सके। इस स्कीम के अंतर्गत किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटनों का ब्यौरा भी तत्काल इस विभाग को भेजा जाए।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन के अनुसार आरतीय खाद्य नियम पूर्व-भुगतान आधार पर गेहूँ और चावल जारी करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यानन्दों के संबंध में भारतीय खाद्य नियम को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो।
4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि इस विभाग द्वारा अंतिम आवंटन पर विचार करने के लिए वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यानन्दों की तिमाही एवं अंतिम वार्षिक आवश्यकताओं का ब्यौरा प्रेषित करें। उससे यह भी अनुरोध है कि वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति पर वर्ष 2015-16 के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत उन्हें आवंटित खाद्यानन्दों के संबंध में सुनिश्चित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19 ए में उपलोडित प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करें। वर्ष 2015-16 के संबंध में उपलोडित प्रारूप-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अतिरिक्त आवंटन के संबंध में अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यानन्दों के उठान की नियमित लिपरानी करें तथा खाद्यानन्दों का उठान वैधता अवधि के भीतर किया जाना भी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यानन्दों का यह आवंटन अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किया जाता है तथा अधिकतम सीमा तक उठान किया जाता है जिससे कि लिपित लाभांशोंवियों को इस स्कीम का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सबला के तहत अनुमानित आवश्यकता मॉनिमंडल अधिक मामलों से सबंधित मॉनिमंडल समिति (व्यय वित्त समिति सहित) के अनुमोदन से हो।

भास्त
(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरध्वाः 23383206

सेवा में,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(श्री मनोज कुमार, अवर सचिव)
शास्त्री भवन नई दिल्ली।